पत्रिका

Fssai 10 लाख रुपए मूल्य का पाम और सोयाबीन ऑयल किया जब्त

पांच टैंकरों की मदद से रीपैकिंग किया जाता था सोयाबीन और पाम ऑयल

एक ही पते पर संचालित होती दो फर्मों का हुआ खुलासा

भोपाल से मिली जानकारी के अनुसार दी जा रही दबिश

नीमच. नीमच के एक मिलावटखोर के खिलाफ कलेक्टर को भोपाल से सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर कलेक्टर ने एक टीम का गठन किया। गुरुवार दोपहर टीम ने स्कीम नंबर 9 स्थित सरला ऑयल्स पर दबिश दी। चौकाने वाले खुलासे हुए। एक की पते पर दो फर्म संचालित होती मिली। ऑयल के पांच टैंकरों से पाम और सोयाबीन ऑयल की रीपैंकिंग का खुलासा हुआ। मिलावट की आशंका पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 10 लाख रुपए मूल्य का पाम और सोयाबीन ऑयल जब्त किया।

तेल के कुल पांच नमूने लिए गए

खाद्य सुरक्षा प्रशासन मध्यप्रदेश से प्राप्त शिकायत के आधार पर गुरुवार दोपहर तहसीलदार अजय हिंगे, नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह, राजस्व विभाग के पटवारी, 15 पुलिस जवानों के साथ स्कीम नंबर 9 पहुंचे। वहां स्थित सरला ऑयल्स की रीपैकिंग यूनिट पर छापा मारा। शिकायत मिली थी कि इस फर्म से काफी बड़ी मात्रा में मिलावटी सोयाबीन और पाम ऑयल का व्यापार होता है। मौके पर निरीक्षण करने पर पता चला कि यहां से एक ही पते पर दो फर्म सरला ऑयल व गोयल सेल्स कॉर्पोरेशन संचालित हो रही हैं। फर्म पर सोयाबीन ऑयल व पाम आयल की पैकिंग कर विक्रय करने का लाइसेंस लिया गया था। उनके प्रमुख ब्रांड ईशान गोल्ड, पराग गोल्ड, एक्टिव फ्रेश आदि थे। इनमें से 500 मिली, 800 ग्राम, 2 लीटर, १5 किलोग्राम और १5 लीटर आदि में पैक कर विक्रय किए जाते हैं। जांच में फर्म पर पांच टैंक मिले। इनमें 3 पाम ऑयल और 2 सोयाबीन ऑयल के थे। सभी टैंक आपस में पाइप व वाल्व के माध्यम से जुड़े हुए थे। जिस मात्रा में सोयाबीन व पाम मिक्स करना हो या प्योर देना हो यह रीपैकर पर निर्भर है। फर्म मालिक ने बताया कि हम मिक्सिंग नहीं करते हैं। पांचों टैंक से ऑयल लेकर बॉटल्स में रखकर उसे फ्रीजर में 45 मिनट के लिए रखा गया। इससे मिलावट की आंशका हुई। इसके बाद वहां से अलग अलग ब्रांड के 4 सोयाबीन ऑयल और एक पाम ऑयल का नमूना लिया गया। फर्म से कुल 5 नमूने लिए गए।

यह लिए गए नमूने

सरला ऑयल्स से गुरुवार को दबिश के दौरान एक्टिव फ्रेस रिफाइंड सोयाबीन ऑयल पैक, इशान गोल्ड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल पैक, पराग गोल्ड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल पैक, इशान गोल्ड रिफाइंड पाम ऑयल पैक और सोयाबीन लूस ऑयल के नमूने लिए गए। मौके पर शेष रखे पैक माल को जब्त किया गया। इसमें 7 लाख 45 हजार 541 रुपए मूल्य का 9 हजार 595 किलोग्राम सोयाबीन ऑयल और 2 लाख 41 हजार 500 रुपए मूल्य का 3450 किलोग्राम पाम ऑयल जब्त किया गया। 13 हजार 184 रुपए के 412 रीयूज्ड खाली टिन भी जब्त किए गए। इस प्रकार सरला ऑयल्स से कुल 10 लाख 225 रुपए की सामग्री जब्त की गई। सभी जब्त सामग्री फर्म द्वारा निर्मित माल गोदाम में रखकर सील की गई। फर्म को तत्काल एक लाइसेंस अन्य जगह स्थानांतरित करने तथा तेल टैंक के इंटरकनेक्शन हटाकर ही अपना व्यवसाय संचालित करने के निर्देश दिए गए।

जिले की सबसे पुरानी यूनिट

गुरुवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में इस बात का खुलासा हुआ कि सरला ऑयल्स नीमच जिले की सबसे पुरानी रीपैकिंग यूनिट है। इस संबंध में कलेक्टर को भोपाल स्तर से शिकायत मिली थी। इस आधार पर कार्रवाई की गई। सभी नमूने जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे।

– संजीव कुमार मिश्रा, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी